न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–284/2016 (जीसीएमएस नं. 2016/00045)

01. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री भॅवर, जाति बलाई निवासी जड़ावता, तहसील दूदू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. रामनारायण पुत्र भागीरथ, जाति जाट निवासी ग्राम जडावता हाल निवासी ग्राम हठुपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर।
02. महराम पुत्र भागीरथ जाति जाट, निवासी ग्राम जडावता, हाल निवासी ग्राम हठुपुरा तहसील दूदू, जिला जयपुर।
03. रामरतन पुत्र रामजीवण,
04. भैंरूलाल पुत्र रामजीवण,
05. रामकिशन पुत्र रामजीवण,
06. अमरचन्द पुत्र रामजीवण, समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम जड़ावता हाल निवासी ग्राम हठुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।
07. श्रवण लाल पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट निवासी ग्राम जडावता हाल निवासी ग्राम हठुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।
08. जमना देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार, जाति जाट निवासी ग्राम जडावता हाल निवासी ग्राम हठुपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर।
09. जगवीर पुत्र प्रवीण कुमार निवासी ग्राम जडावता हाल निवासी ग्राम हठुपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर।
10. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री चन्द्रशेखर दाधिच, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 7, 8 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 19.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 75 रकबा 12.65 हैक्टयर का पृथक से अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दर्शाया हुआ है तथा हाल अपीलान्ट के खसरा नम्बर 74 रकबा 1.22 हैक्टयर का अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शे में पृथक से दर्शाया हुआ है। उक्त अंकन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अवधि 2004 से 2024 में किये गये अंकन के अनुसार तथा पूर्व रिकार्ड के अनुसार ही चला आ रहा है जिसमें किसी भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकार का नवीन अंकन मौके विरूद्ध नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य की घौर अनदेखी करके पारित किया गया है जो तत्काल अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर मौजूद सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.05.2014 पर भी गौर नही किया जबकि सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिन अपीलान्ट के स्वामित्व, कब्जे व अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 74 जिसका रकबा 1.22 हैक्टयर ही मौके पर मौजूद है जबकि मिन अपीलान्ट के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 74 का रकबा वास्तव में मौके पर स्वामित्व अनुसार ही 1.22 हैक्टयर है तो उक्त स्वामित्व के रकबे में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अधिकार व विधिक कारण नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के काबिज अनुसार पुनः तरमीमी करने के आदेश पारित करके मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है। उन्होने आगे कथन किया है कि हाल रेस्पोडेन्टगण उक्त अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरन व अवैध तरीके से मिन अपीलान्ट की भूमि को कम दर्शाना चाहते है जो कि अनुचित है। उन्होने आगे कथन किया है कि किसी भी पक्षकार ने सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 31.05.2014 के विरूद्ध कोई आपत्ति नही की है अर्थात परोक्ष रूप से सीमाज्ञान रिपोर्ट को स्वीकार किया है उक्त महत्वपूर्ण तथ्य की घौर अनदेखी कर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अन्य पड़ौसी खातेदार द्वारा तरमीम के सम्बन्ध में की गई आपत्ति के जवाब में तहसीलदार दूदू ने अपीलान्ट के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 1.22 हैक्टयर बाबत राजस्व रिकार्ड व नक्शे व कब्जे का सही माना है परन्तु दुर्भावनापूर्वक एवं साजिशपूर्वक प्रश्नगत प्रकरण में उसी खसरा नम्बर 74 रकबा 1.22 हैक्टयर के बाबत जवाब में भिन्न उल्लेख किया है एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन दो प्रकरणों में अलग–अलग जवाब देना अनुचित साजिश को प्रकट करता है वस्तुतः अपीलान्ट अपने स्वामित्व की भूमि पर ही काबिज है तथा इसी अनुरूप नक्शे में तरमीम है जो पूर्णतया सही है परन्तु हाल ही में मिन अपीलान्ट के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 1.22 हैक्टयर में से जड़ावता से ममाणा डामर रोड़ निकल जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है तथा वे साजिशपूर्वक येनकेन प्रकारेण उक्त प्रकरण के माध्यम से रोड़ की भूमि पर जबरन व अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते है इसी बदमंशा से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त बदमंशा को अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में जाहिर करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही करके तथा राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा नही दिये जाने के कारण पूर्व मे

जानकारी नही हो सकी अपितू दिनांक 22.07.2016 को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है जिस पर नकल हेतु नियमानुसर आवेदन दिनांक 22.07.2016 को ही कर दिया गया जिस पर उक्त नकल दिनांक 26.07.2016 को प्राप्त हुई है इस कारण दिनांक 23.05.016 से 22.07.2016 तक की अवधि जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 23.07.216 से 26.07.2016 की अवधि न्यायिक प्रक्रिया मे व्यय होने के कारण क्षमा योग्य है जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 7, एवं 8 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि आराजी खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 12.6500 हैक्टयर वाके ग्राम जड़वता तहसीलदार दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 62/1/1 है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज के नाम से दर्ज है इसी प्रकार आराजी खाता संख्या 293 के आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 1.22 हैटक्यर जिसके साबिक खसरा नम्बर 62/1/1 है जो अपीलान्ट के नाम दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 62/1/1 मूल खसरा नम्बर 62 था जिसकी साबिक नक्शे में कोई तरमीम नही हो रखी थी उक्त मूल खसरा नम्बर 62 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 की आराजी का अलग से खसरा नम्बर 62/1/1 कायम किया गया एवं खसरा नम्बर 62/1/1 ही अपीलान्ट को कायम किया गया जिसकी साबिक नक्शे में कोई तरमीम नही की गई थी, मात्र अलग से खसरा नम्बर ही कायम किया गया था वरवक्त अपीलान्ट की आराजी के मूल खातेदार मालूराम पुत्र हरबक्स कौम रैगर को वरवक्त अलॉटमेन्ट रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर किया गया था परन्तु वर्तमान सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा जो तरमीम की गई वह गलत की गई है एवं अपीलान्ट के वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 74 की तरमीम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के खसरा नम्बर 75 में कर दी गई है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 का रकबा कम हो गया है एवं रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 75 में अपीलान्ट की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 74 की तरमीम कर दी गई जो बिना कब्जे के आधार पर मौके के विपरित की गई है जिससे रेस्पोडेन्ट की आराजी का रकबा भी कम हो गया है एवं उक्त गलत तरमीम के आधार पर अपीलान्ट जबरन रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजीयात पर कब्जा करना चाहता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि दिनांक 14.07.2014 को रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शा व अन्य दस्तावेजात की नकल ली तो रेस्पोडेन्ट को उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई इस पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को तरमीम दुरूस्ती हेतु कहा तो अपीलान्ट तरमीम दुरूस्ती से

साफ इन्कार हो गई तथा रेस्पोडेन्ट को ऐलानिया धमकी दी कि वर्तमान तरमीम के अनुसार मौके पर काबिज होकर उक्त आराजीयात का बैचान कर तुम्हे बेदखल करूंगी इस पर रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से उक्त इद्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन कि तो पटवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया तब तहसीलदार को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन कि तहसीलदार ने सक्षम न्यायालय में चाराजोंही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार दूदू की रिपोर्ट दिनांक 08.12.2015 के अनुसार खसरा नम्बर 74 व 75 आपस में मिले हुये है तथा खसरा नम्बर 74 के मध्य से जड़ावता से ममाणा जाने वाली डामर सड़क है एवं नामान्तरकरण संख्या 302 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार साबिक खसरा नम्बर 62/1/1 रकबा 4.16 बीघा की तरमीम के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 74 रकबा 1.22 हैक्टयर को कायम नही किया है तथा पुश्त की तरमीम सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी कोने में थी तथा वर्तमान खसरा नम्बर 74 सम्पूर्ण साबिक आराजी के पश्चिम में स्थित है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 302 की पुश्त पर अंकित तरमीम व वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम एकदम विपरित होने से उसे दुरूस्त किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।